Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC)
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre

ISSN: 2582-2004
Volume 02, Issue 02

DOI: 10.46523/jarssc.02.02.27
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

लखीमपुर खीरी की ऐतिहासिक धरोहर–'विलोबी मेमोरियल'

डॉ0 नूतन सिंह

एसोशिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग,

युवराज दत्त महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी।

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी शहर में लगभग सौ साल प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक है जिसका नाम है ''विलोबी मेमोरियल'' किसी भी ऐतिहासिक भवन पर कदम रखते हुए इतिहास के विद्यार्थी के मन में क्या, क्यों, कैसे, किसलिए जैसे सवालों का कौंधना स्वाभाविक है। तार्किक जवाब की तालाश में ये सवाल लगातार एक दूसरे से टकराते रहे। इन सवालों के जवाब में हमें विलोबी मेमोरियल से जुड़े कुछ साक्ष्य मिले और कुछ किंवदंतियाँ। सामान्यतः लखीमपुर की अवाम भी इसके बारे में खास जागरूक नहीं है। सिवाय इसके कि ये धरना

Received: 05.11.2019 **Accepted:** 30.11.2019 **Published**: 30.11.2019

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC)
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre
ISSN: 2582-2004
Volume 02, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.02.02.27
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

स्थल है, यह खेल का मैदान है, यह वैवाहिक स्थल है, यह राजनैतिक पार्टियों का सभा स्थल है। स्थापत्य की दृष्टि से लाल रंग की यह इमारत प्रथम दृष्टया कोई विशेष प्रभाव दिमाग पर नहीं डालती न ही ये स्थापत्य का खास नमूना है तथापि 1924 ई0 में निर्मित यह इमारत ऐतिहासिक महत्व रखती है। यद्यपि इसके आसपास का क्षेत्र विलोबी के नाम से ही जाना जाता है। सूचना क्रान्ति के इस दौर में भी इसके बारे में खोजने पर बहुत की कम जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि हम इस ओर बौद्धिक वर्ग का ध्यान इस उद्देश्य से आकर्षित करें कि इस ऐतिहासिक स्मारक और इसमे स्थित पुस्तकालय के सामान्य जन के लिये अधिक उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है।

परिकल्पना एवं सम्बन्धित साहित्य का संकलन

इसके सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करने हेतु हमने साइट विजिट किया। शहर के युवा–बुजुर्ग लोगों से जानकारियां एकत्र की। विलोबी मेमोरियल ट्रस्ट के महत्वपूर्ण दस्तावेज हमें ट्रस्ट के वर्तमान सचिव डॉ0 अजय कुमार आगा, एसोशिएट प्रोफेसर जन्तु विज्ञान से प्राप्त हुए। आगा परिवार चार पीढ़ियों से इस ट्रस्ट की सचिव की जिम्मेदारी निभा रहा है।

'लखीमपुर–खीरी' उत्तर प्रदेश के जनपदों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महत्वपूर्ण होने का कारण जनपद की स्थिति और इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान है। सरकारी अभिलेखों में जनपद का वास्तविक नाम 'खीरी' है, परन्तु मुख्यालय लखीमपुर नगर में स्थित होने के कारण सामान्य रूप से प्रचलित नाम लखीमपुर–खीरी ही है।

क्षेत्र का सर्वेक्षण

$27^0$41′ और 28^0–42′ उत्तरी अक्षांशों तथा 80^0–2′ और 81^0–19′ पूर्वी देशान्तरों के मध्य स्थित यह जनपद उत्तर में 'नेपाल' से सटे होने के कारण राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। 7680 वर्ग किमी0 में विस्तृत इस जनपद की भारत

Received: 05.11.2019 **Accepted:** 30.11.2019 **Published**: 30.11.2019

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC)
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre
ISSN: 2582-2004
Volume 02, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.02.02.27
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

नेपाल सम्बन्धें में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोनों ही देशों के स्थानीय राजनीतिज्ञ, विद्यार्थी, व्यापारी, सामाजिक और असामाजिक तत्व, भारत–नेपाल सम्बन्धों को प्रभावित करते रहे हैं।

अतीत में इस जनपद में 'खैर' (कत्था) का अत्यधिक जंगल विद्यमान था और अब भी बहुत कुछ है, इसी से यह जनपद 'खैर'–खैरी–'खीरी' के नाम से लोकप्रिय हुआ। 'मोहान नदी' 1899 ई0 में नेपाल और ब्रिटिश भारत की सीमा स्वीकार की गई थी। इस जनपद का जंगल कभी अवध साम्राज्य में सबसे कीमती जंगल समझा जाता था। इसकी कीमती लकड़ी पाने के लिए भारत के दूरस्थ राजे अवध के नवाबों से सम्पर्क करते रहते थे। वर्तमान में भी जनपद का जंगल, प्रदेश में महत्वपूर्ण समझा जाता है। लखीमपुर नगर (मुख्यालय) से 104 किमी0 उत्तर–पश्चिम में 'दुधवा नेशनल पार्क' एक सुरक्षित अरण्य है। यहां वनराज, हिरण की अनेक जातियां, बारहसिंहा तथा अन्य वन–जन्तु पर्यटकों को मुग्ध करते हैं।

प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि औपनिवेशिक काल में खीरी जनपद में एक आई0सी0एस0 की डिप्टी कमिश्नर के रूप में नियुक्ति हुई। नाम था –''राबर्ट विलियम डग्लस विलोबी'' (Robert William Dauglas Willoughby) उनका जन्म 21 जनवरी 1877 को आक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था। पिता का नाम कर्नल आर0एफ0 विलोबी था। इनकी शिक्षा दीक्षा मैगडेलन कालेज आक्सफर्ड से हुई थी। ऐसा सुना जाता है कि बड़े नेक दिल इंसान थे और टेनिस खेलने के शौकीन थे।

लखीमपुर में ही बकरीद के दिन 43 वर्ष की आयु में 26 अगस्त 1920 को कुछ व्यक्तियों ने तलवार से उनकी नृशंस हत्या कर दी। वह बकरीद का दिन था, जब बहुत से मुस्लिम मस्जिदों से बकरीद की नमाज पढ़ कर लौटे भी नहीं थे, यह शर्मनाक खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सैकड़ों लोग कमिशनर के बंगले की ओर दौड पड़े। 26 अगस्त को ही शाम होते–होते आर0डबल्यू0डी0 विलोबी की सांस हमेशा के लिए रूक गई। इस शर्मनाक आपराधिक घटना से पूरा शहर हिल उठा और मातम में डूब गया। 27 अगस्त 1920 की

Received: 05.11.2019 **Accepted:** 30.11.2019 **Published**: 30.11.2019

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC)
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre
ISSN: 2582-2004
Volume 02, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.02.02.27
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

शाम शहर वासियों ने एकत्रित होकर निर्णय लिया कि नेकदिल और प्रिय विलोबी की स्मृतियों को धूमिल नहीं होने देंगे तथा इसे एक तीर्थ का रूप देंगे। इस मंतत्वय से यह निर्णय लिया गया कि पढ़ने के शौकीन विलोबी की याद में एक स्थायी स्मारक बनाया जाय। इस योजना को कार्यरूप देने हेतु यूनाइटेड प्राविन्सेज ओफ आगरा एंड अवध के तत्कालीन गवर्नर सर हरकोर्ट बटलर ने एक कमेटी बनाने की लिखित अनुमति दी। इसके लिए स्थानीय ताल्लुकेदारों से उदारतापूर्वक दान की अपील की गई। जिसमें स्मारक के लिए एक बड़ी जमीन देने का कार्य महेवा गढ़ी के ताल्लुकेदार ने किया।

इस सनसनीखेज कारनामे को अंजाम देने वाले नसीरूद्दीन उर्फ मौजी, बशीर तथा माशूक अली थे। नसीरूद्दीन कपड़े की सिलाई का काम करते थे। जनश्रुतियों के आधार पर इस घटना के तार खिलाफत आन्दोलन से उपजे गुस्से से जुड़े मिलते हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके इन पर 302, 302/144 व 302/109 भारतीय दंड संहिता का आरोप लगा। मुकदमे की त्वरित कार्यवाही तथा नसीरूद्दीन व बशीर के इकबालिया बयान के पश्चात 25 नवम्बर 1920 को तीनों अभियुक्तों को मिस्टर स्मिथ सत्र न्यायाधीश सीतापुर द्वारा सजा सुनायी गई तथा फांसी दे दी गई। इस मुकदमे में शासन की ओर से बाबू जगत नरायण तथा माशूक अली की ओर से वकील सीताराम ने पैरवी की।

राय बहादुर सरस्वती प्रसाद सक्सेना की देखरेख में विलोबी स्मारक भवन बनने का कार्य आरम्भ हुआ। स्मारक के अंदर एक 65''–32'' का एक बड़ा ऊंचा हाल है तथा अर्ध वृत्ताकार मेहाराबी छत है। 6 कमरों में पुस्तकालय, लकड़ी की अलमारियां और अध्ययन कक्ष है। छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की रेलिंग नक्काशीदार है। बाहर सामने की तरफ बरामदा और पोर्टिको है तथा पोर्टिको के सामने की तरफ छोटा सा लॉन है। लाइब्रेरी में प्रारम्भ में हिंदी इंग्लिश, उर्दू की लगभग 6000 स्टैंडर्ड पुस्तकें मंगवायी गईं। साथ ही चार मासिक, चार साप्ताहिक व चार दैनिक पत्रिकाएं भी आती रहीं। 15 अगस्त 1924 को यूनाइटेड प्रॉविन्सेज (वर्तमान यू0पी0) के तत्कालीन गर्वनर सर विलियम मॉरिस ने इस भवन का उद्घाटन किया।

Received: 05.11.2019 **Accepted:** 30.11.2019 **Published**: 30.11.2019

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC)
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre
ISSN: 2582-2004
Volume 02, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.02.02.27
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

1936 ई0 में महिलाओं में चेतना व जाग्रति लाने हेतु विलोबी मोमोरियल ट्रस्ट के पश्चिम में 57,279 वर्ग फीट भूमि लेडीज क्लब को दे दी गई। जहां 1937 में शहर के प्रथम महिला संस्था की स्थापना हुई। 1968 में महिला क्लब में मीटिंग इत्यादि आवश्यकता हेतु एक कमरा बनवाया गया। जिसे नाम दिया गया–'कस्तूरबा भवन' इसे अब भी इसी नाम से जाना जाता है। महिला क्लब परिसर में ही क्लब सदस्यों के प्रयास से 'गांधी बालोद्यान' नाम से एक प्राथमिक विद्याालय की नींव रखी गई जो अब 'गांधी बालोद्यान' जूनियर हाईस्कूल के नाम से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान है।

1948 ई0 में शहीद राजनरायन मिश्र मेमोरियल कमेटी के आग्रह पर पूर्वी हिस्से की कुछ जमीन उन्हें दी गई। वहां आज आंख का अस्पताल है।

1947 ई0 में हालैंड से आये अनुदान के सदुपयोग हेतु एक मूक बधिर स्कूल के लिए ट्रस्ट के पूर्वी दक्षिणी हिस्से की जमीन का कुछ हिस्सा दिया गया। वहां यह स्कूल अब भी संचालित हो रहा है। परिसर के अन्दर एक पौधा की नर्सरी (लवली नर्सरी) है।

1969–70 में स्टेडियम बनाने के लिए जनपद को सरकारी अनुदान मिला किन्तु जमीन चाहिए थी तो पुनः इसी ट्रस्ट की जमीन के एक हिस्से में गांधी स्टेडियम बना। जिसका उद्घाटन कमलापति त्रिपाठी ने किया था।

वर्तमान में (2019) जनपद में होने वाले किसी भी धरना प्रदर्शन हेतु जिलाधिकारी खीरी ने विलोबी मेमोरियल हाल के समीप स्थित गांधी स्टेडयम को निर्धारित कर दिया गया है। अतः इसका उपयोग खेल के मैदान, धरना प्रदर्शन, राजनीतिक रैली तथा बड़े समारोह के लिए किया जाता है जिससे ट्रस्ट को आमदनी भी होती है। विलोबी मेमोरियल परिसर में चहारदीवारी से लगी कुल 47 दुकाने हैं। दुकानों स्टेडियम, हाल से प्राप्त एक अच्छी खासी आय ट्रस्ट में जमा है किन्तु इतनी बड़ी संपत्ति पर किसी की लोलुप दृष्टि न पड़ी हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। 1997 ई0 में आजादी की पचासवीं वर्षगांठ पर कुछ लोगों ने स्मारक में घुसकर तोड़फोड़ की तथा विलोबी का एकमात्र तैलचित्र और उनसे जुड़े मामलों में आग

Received: 05.11.2019 **Accepted:** 30.11.2019 **Published**: 30.11.2019

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC)
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre
ISSN: 2582-2004
Volume 02, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.02.02.27
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

लगा दी और इसका नाम बदलकर 'नसीरूद्दीन उर्फ मौजी' हाल करने की मांग की गई। 26 जनवरी 2015 को जिलाधिकारी श्री गौरव दयाल के नाम की लगी शिला पट्टिका से ज्ञात होता है कि जनता की भावनाओं के दबाव में भवन का नाम बदलकर 'नसीरूद्दीन मौजी भवन' कर दिया गया, किंतु तकनीकी कारणों से 'विलोबी मेमोरियल ट्रस्ट' का नाम नहीं बदला गया। इसलिए कागजातों और भवन में भी विलोबी नाम को हटाया नहीं जा सका।

निष्कर्ष एवं महत्व

वर्तमान (नवम्बर 2019) में विलोबी स्मारक ट्रस्ट जिला प्रशासन की देखरेख में है। जिलाधिकारी इसके संरक्षक है। पुलिस अधीक्षक, उपजिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका इस ट्रस्ट की सामान्य समिति तथा कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। इसके सचिव डॉ0 अजय कुमार आगा हैं। अतिरिक्त सदस्यों में कर्नल एस0के0 दत्ता, कुंवर प्रद्युम्न नरायन दत्त सिंह तथा योगेश सक्सेना हैं। यह भवन कभी जिले की सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों का केन्द्र हुआ करता था। भवन में स्थित पुस्तकालय सोसाइटी रेजिस्ट्रेशन ऐक्ट XXI of 1860 के अंतर्गत 1953 में रजिस्टर्ड हुई। तत्कालीन प्रशासकों ने इस पुस्तकालय को न केवल देश में अपितु इंग्लैंड से प्रकाशित पुस्तकें उपलब्ध करायीं। भारत में जनसामान्य में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने हेतु भारत में लाइब्रेरी आंदोलन चला। इसके अंतर्गत 1972–74 के मध्य राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से भी इसे भारी मात्रा में पुस्तकों की सहायता प्राप्त हुई। पुस्तकालय मंगलवार को बंद रहता है। शेष दिनों में शाम को दो तीन घंटे के लिये खुलता है। जिसमें इसके सीमित सदस्य आकर पत्र पत्रिकायें पढ़ते हैं। विनय प्रकाश मिश्र जी पुस्तकालय के रखरखाव का दायित्व संभालते हैं।

विलोबी मेमोरियल भवन शांत भाव से खड़ा इतिहास बन गया है। इतिहास बनने के लिए शांत होना ही पड़ता है। माना कि यह इतिहास का काला पन्ना है तथापि आवश्यकता है

Received: 05.11.2019 **Accepted:** 30.11.2019 **Published**: 30.11.2019

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC)
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre
ISSN: 2582-2004
Volume 02, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.02.02.27
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

इस भवन में स्थित पुस्तकालय को बहुउपयोगी और आधुनिक तकनीकी से युक्त करने की ताकि समाज का बड़ा वर्ग इससे लाभान्वित हो सके। प्रस्तुत शोध का यही उद्देश्य है।

संदर्भ सूची–

1. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर खीरी, इम्पीरियल गजेटियर ओफ अवध, डॉ0 मनिकलाल गुप्त, रीडर इतिहास विभाग, युवराज दत्त महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी ''लखीमपुर खीरी जनपद'' लेख, उदयाचल, युवराज दत्त महाविद्यालय लखीमपुर खीरी की पत्रिका पृष्ठ–17–21, 1999
2. रेनू अग्निहोत्री अपने बाबा ससुर पंडित राम स्वरूप पांडे जो स्वयं विलोबी के साथ टेनिस खेलते थे, उनसे सुने संस्मरणों को साझा करते हुए बताती हैं।
3. 1920 में ट्रस्ट के सेक्रेटरी के मूल पत्र की कापी।
4. राय बहादुर लक्ष्मी प्रसाद सक्सेना जी के पत्र की कॉपी जो 1963–87 तक इस ट्रस्ट के सचिव रहे।
5. गजट की कॉपी उदिशा पत्रिका 2009–11 के पेज 10 पर देखी जा सकती है।
6. पूनम आगा महिला क्लब लखीमपुर खीरी का स्वर्णिम इतिहास, लेख, उदिशा महिला क्लब समिति की पत्रिका पृष्ठ 7–10, 2009–11
7. वंशीधर मिश्र, सचिव, राजनारायण मिश्र मेमोरियल कमेटी का 7 दिसम्बर 1947 को विलोबी मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव के नाम लिखे पत्र की स्कैन कापी।
8. नक्शे की फोटो कापी व भवन का चित्र, ट्रस्ट का मैप संलग्न है।
9. लक्ष्मी नारायन सक्सेना, सचिव को प्राप्त रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति नं0 204, 1953–54
10. कृष्ण कुमार मिश्र, 'बदहाल होता एक ऐतिहासिक पुस्तकालय' लेख, दैनिक पत्र, सहारा समय 31 जनवरी 2004।

Received: 05.11.2019 **Accepted:** 30.11.2019 **Published**: 30.11.2019

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.